

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
सूचना

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा 69वीं0 संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर आपूर्ति निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की उपलब्ध कराई गयी अनुशंसा के आलोक में 03 (तीन) अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों का सत्यापन हेतु अंतिम अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 22.09.2025 को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना, पुराना सचिवालय के सभागार कक्ष (कमरा संख्या-219) में पूर्वाह्न 11.00 बजे से किया जाएगा।

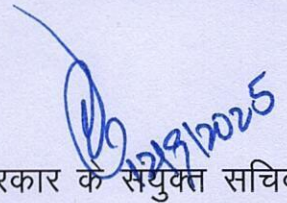
Sl.No.	Roll No.	Merit Serial	Name
01	343970	124	SOURAV PRASAD
02	360291	283	MANAVI RHYTHM
03	346545	439	MUSKAN

02. दिनांक 30.09.2025 तक अपना योगदान विभाग में समर्पित नहीं करने की स्थिति में आपकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

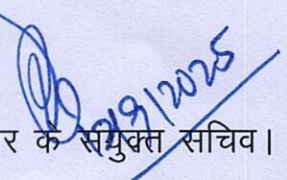
उक्त संबंध में विस्तृत सूचना खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के वेबसाइट <https://state.bih.gov.in/fcp> पर उपलब्ध है। प्रमाण-पत्र सत्यापन के लिए अभ्यर्थी निम्नांकित प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति तथा इसकी दो स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति (Self Attested) अपने साथ अनिवार्य रूप से लाएंगे एवं जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

1. मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण-पत्र एवं अंक प्रमाण-पत्र।
2. इण्टरमीडिएट, स्नातक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र।
3. अन्य उच्चतर शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्र जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया हो।
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र।
5. पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमिलेयर रहित प्रमाण-पत्र।
6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत EWS प्रमाण-पत्र।
7. स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी संबंधी सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र।
8. निर्धारित प्रपत्र में निःशक्तता संबंधी प्रमाण-पत्र।
9. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी आवासीय प्रमाण-पत्र।
10. यदि अभ्यर्थी पूर्व से नियोजित हों, तो नियोक्ता (Employer) से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (No Objection Certificate)।
11. बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र (Admit Card)।
12. पूर्ण रूप से भरा हुआ चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन-प्रपत्र (दो प्रतियों में) अभ्यर्थी अपने साथ लावें। उक्त विहित प्रपत्र खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के वेबसाइट <https://state.bih.gov.in/fcp> पर उपलब्ध है।
13. पासपोर्ट साईज का 04 (चार) रंगीन फोटो।
14. अनुमंडल पदाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में इस आशय का शपथ-पत्र की सभी प्रमाण पत्र सही है तथा उनके विरुद्ध किसी थाना अथवा न्यायालय में कोई मामला दर्ज/विचाराधीन नहीं है एवं उनका आचरण प्रतिकूल नहीं है। उक्त शपथ पत्र हेतु विहित प्रपत्र खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के वेबसाइट <https://state.bih.gov.in/fcp> पर उपलब्ध है।

15. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र।
16. दहेज न लेने अथवा न देने से संबंधित स्वघोषणा-पत्र।
17. अधिकतम उम्र सीमा में छूट संबंधी प्रमाण पत्र।
18. फोटो युक्त पहचान पत्र यथा-आधार कार्ड/वोटर पहचान पत्र/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाईसेंस आदि।
19. प्रमाण पत्रों की जाँच हेतु सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।


सरकार के संयुक्त सचिव।
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण
विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- प्र03 (नियुक्ति)-10/2024 2348 खाद्य, पटना/दिनांक 12-9-2025
प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पटना को
विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।